रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022025-261159
CG-DL-E-19022025-261159

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 878] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2025/माघ 30, 1946
No. 878] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2025/MAGHA 30, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2025

का.आ. 884(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा तांबा उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. (1) इस आदेश को तांबा उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 कहा जाएगा।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. तांबा उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 के, पैराग्राफ 2 में, दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

बशर्ते कि यह आदेश तांबा उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 के प्रारंभ से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) के अंतर्गत उल्लिखित उपकरण या उत्पाद या उप-संयोजन या घटक का भारत में विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए किसी विनिर्माता द्वारा आयातित सामान या वस्तु पर, उक्त सारणी के कॉलम (2) के अंतर्गत सामान या वस्तु के विनिर्दिष्ट मूल्य तक लागू नहीं होगा, अर्थात: -

तालिका

सामान या वस्तु	मूल्य की सीमा
(1)	(2)
रेफ्रिजरेशन और एयर-कंडिशनिंग प्रयोजन के लिए रॉट कॉपर ट्यूब्स	वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयातित सामानों या वस्तुओं के कुल मूल्य के 25% तक

[फा. सं. पी-29026/8/2023-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

नोट.- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 1801(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 19th February, 2025

S.O. 884(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Copper Product (Quality Control) Order, 2024, namely:-

1. (1) This Order may be called the Copper Product (Quality Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2 . In the Copper Product (Quality Control) Order, 2024, in paragraph 2, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

Provided also that this order shall not apply from the commencement of the Copper Products (Quality Control) Amendment Order, 2025 for a period upto the 31st March, 2025 to goods or articles imported by a manufacturer for the purposes of manufacturing equipment or product or sub-assemblies or component in India mentioned under column (1) of the Table below, upto the value of goods or articles specified under columns (2) of the said Table, namely: -

TABLE

Goods or Articles	Extend of value
(1)	(2)
Wrought Copper Tubes for Refrigeration and Air-Conditioning Purpose	Upto 25% of the total value of goods or articles imported in the Financial Year 2023-24

[F. No. P-29026/8/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Note.-The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide Notification number S.O. 1801(E), dated the 26th April, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.02.19 19:43:42 +05'30'